


38

माननीय बोर्ड ऑफ रेव्हन्यू ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा, जिला

रीवा (म०प्र०)



A-3187-1113

श्री राजकुमार
श्री रामकिशोर
उत्तर

1. इन्द्रपाल तनय स्व.रामलाल यादव उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि
2. रामधनी तनय इन्द्रपाल यादव उम्र 27 वर्ष पेशा कृषि
3. रामकिशोर तनय इन्द्रपाल यादव उम्र 23 वर्ष पेशा कृषि
4. मुन्ना लाल तनय इन्द्रपाल यादव उम्र 21 वर्ष पेशा कृषि सभी निवासी बरौंधा तह० मझगवाँ जिला सतना म.प्र.अपीलाण्टगण

बनाम

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर सतना
2. वनमण्डला अधिकारी, वनमण्डल कार्यालय सतना जिला सतना म.प्र.रेस्पॉन्डिन्टगण

राजकुमार

07/02/13

द्वितीय अपील

अन्तर्गत धारा 44(2)म.प्र.भू.रा.सं.1959
अपील विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त रीवा
संभाग रीवा अपील क्र. 968/अपील/
10-11 आदेश दिनांक 22.05.12

मान्यवर,

अपील के तथ्य एवं कानूनी आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अपीलाण्ट क्र. 1 कर्ताखानदान है और 2 से 4 उसके पुत्र हैं। अपीलाण्ट क्र. 1 इन्द्रपाल को उसके लड़कों ने अपीलाण्ट क्र. 2 से 4 पैरवी के लिए अधिकृत कर रखा अपीलाण्ट एक साथ रहते हुये कृषि कार्य करते हैं।
2. यह कि अपीलाण्ट क्र. 1 ने अनुविभगीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के यहाँ दिनांक 25.03.03 को धारा 57(2) म.प्र.भू.रा.सं. के तहत भूमिस्वामी घोषित करने


19-8-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A.3187-II/13

जिला-सतना

इन्द्रपाल यादव/वन मण्डलाधिकारी

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	